

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.07.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना छपिया ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. परमिन्दर पुत्र स्व० जयजयराम नि० ग्राम मंगरेपुरवा मौजा बनकटी सूर्यबली सिंह थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-160/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओमकार राजभर पुत्र रामगोपाल राजभर नि० ग्राम चॉदपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-109/22,  
02. आन्धी पुत्र मुनेशर नि० ग्राम केशवनगर पूर्वी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-110/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.07.2022**

**चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की गयी पम्पिंग सेट बरामदः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्तों— 01. अशोक वर्मा, 02. दिनेश वर्मा, 03. अरविन्द यादव, 04. लालबाबू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गयी पम्पिंग सेट बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 19.07.2022 को वादी नागेन्द्र कुमार पुत्र राम नरायण पाण्डेय की पम्पिंग सेट चोरी की थी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. अशोक वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा निवासी ककरहिया थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. दिनेश वर्मा पुत्र वलिकरन निवासी ककरहिया थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. अरविन्द यादव पुत्र रामनयन निवासी परसहिया मवई थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. लालबाबू पुत्र रामसेवक भट्ट निवासी अगयामाफी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोगः—**

01. मु०अ०सं०—175/22, धारा 379,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद पम्पिंग सेट।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.07.2022**

**दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त नन्द कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी सुखपाल गोस्वामी पुत्र स्व० दयाराम गोस्वामी निवासी ग्राम पड़ेनिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए अपने परिजनों के साथ मिलकर जान से मार दिया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त:—**

01. नंद कुमार पुत्र स्व० बाबूलाल निवासी ग्राम दुबाई थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:—**

01. मु०अ०सं०—80/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम:—**

उ०नि० मिथलेश मिश्रा मय टीम।